डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जून, 2021, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2021

| वर्ष 65 | अंक 1 | भोपाल | 1 जून, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

## तेन्दूपत्ता संग्राहक होंगे संबल योजना में शामिल : मुख्यमंत्री

### तेंदूपत्ता संग्राहकों को सिंगल क्लिक से अंतरित किए गए 191 करोड़ 45 लाख रूपए

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इससे संबल योजना के सभी लाभ और कठिनाई के समय परिवारों को मिलने वाली सहायता तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भी उपलब्ध हो सकेगी। कोरोना के कठिन काल में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को जारी लाभांश का वितरण इन परिवारों के लिए राहत भरा होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया।

प्रदेश के 37 जिलों की 48 जिला यूनियनों को सिंगल क्लिक से 191 करोड़ 45 लाख रूपए की लाभांश राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों के खातों में सीधे जारी की गई। कार्यक्रम में वन मंत्री कुँवर विजय शाह और प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल भी शामिल हुए। कार्यक्रम से 48 जिला यूनियन के सदस्य ऑनलाइन जुड़े।

**ऑक्सीमीटर तथा थर्मामीटर की व्यवस्था के निर्देश**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में तेंदूपत्ता के संग्रहण और तेंदूपत्ता जमा कराते समय कोरोना से बचाव की सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संक्रमण के प्रति सजगता और बचाव के लिए ऑक्सीमीटर तथा थर्मामीटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन व्यक्तियों को सर्दी, खाँसी, जुकाम हैं, वे अपनी बीमारी नहीं छुपाएँ। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अपनी स्थिति की जानकारी दें। राज्य शासन ने ग्राम स्तर पर आयसोलेशन की व्यवस्था की है। जिन व्यक्तियों को इलाज की आवश्यकता होगी उनका निःशुल्क इलाज कराया जाएगा।

**(शेष पृष्ठ 6 पर)**

## मुख्यमंत्री द्वारा 'फैसेलिटी बेस्ड पीडिएट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19' पुस्तक का विमोचन

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में कोविड–19 के लक्षण और उपचार संबंधी मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक ''फैसेलिटी बेस्ड पीडिएट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड–19'' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने और उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल डायरेक्टर डॉ. वीणा सिन्हा ने बताया कि पुस्तक चिकित्सकों को बच्चों में कोविड के उपचार के लिए मानक दिशा–निर्देश प्राप्त करने में सहायक होगी। इस पुस्तक में बच्चों के संक्रमित होने पर लक्षणों के आधार पर उपचार संबंधी मानक दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं। जो लक्षण रहित, कम लक्षण और अधिक तीव्र लक्षण के आधार पर बच्चों के समुचित उपचार के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

पुस्तक में सुलभ और संदर्भ दस्तावेज हैं, जिसके द्वारा लक्षणों के आधार पर उचित उपचार, होम आयसोलेशन के दौरान मॉनीटरिंग किए जाने वाले चिन्ह, कुपोषित बच्चों में कोविड पुष्टि होने पर प्रबंधन, कोरोना संक्रमण से ग्रसित माता द्वारा जन्मे नवजात शिशु की बीमारी के प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

## डॉ. सुधीर महाजन ने एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी का पदभार ग्रहण किया

डॉ. सुधीर महाजन, आईएएस (सेवानिवृत्त) को श्री एन. सत्यनारायण की जगह भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली (एनसीयूआई) के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. महाजन ने 1 मार्च 2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉ. महाजन एजीएमयूटी कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएएस), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए है। इस पद (2002–2010) पर रहते हुए डॉ. महाजन ने विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, सहकारिता, शहरी विकास, पर्यावरण आदि में विभागीय मंत्रियों को सहायता, सलाह और मार्गदर्शन दिया एवं विभाग और मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य किया। डॉ. महाजन ने अपने शानदार करियर में कई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

## पीएम किसान सम्मान निधि से 9.50 करोड़ किसानों के खातों में 19 हजार करोड़ रुपये अंतरित

### मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 9 करोड़ 50 लाख किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास से सहभागिता की। पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान–कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गाँव, गरीब और किसान पर फोकस प्रशंसनीय है। गरीबों के जीवन–स्तर में बदलाव और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जारी प्रयास प्रभावी और व्यावहारिक हैं। इस अवसर पर पीएम किसान योजना पर बनी लघु फिल्म का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय और अंडमान निकोबार के किसानों से बातचीत भी की।

# मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के आदेश जारी

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में राज्य में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आऊटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा की गई घोषणा के अमल के लिये वित्त विभाग द्वारा प्रारूप तैयार कर योजना का आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना का उद्देश्य ऐसे शासकीय सेवक, सेवायुक्तों की कोविड–19 के उपचार के दौरान या कोविड–19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है।

### पात्र कर्मी

राज्य के समस्त नियमित वेतन मानदेय, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ/संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय होता है, योजना के लिये पात्र होंगे। विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त, जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। विधि द्वारा स्थापित आयोग एवं ऐसी संस्थाएँ जिनका शत–प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इसके लिये स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो, में कार्यरत सेवायुक्त कर्मी हो। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार भी शामिल रहेंगे।

### पात्रता की शर्तें

मृत सेवायुक्त के कोविड–19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपी–सीआर/ आरएटी) होना चाहिये। मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिये। अंशकालिक रूप से नियोजित/कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

### वित्तीय सहायता

योजना अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रूपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा। जिन सेवायुक्तों को उनके नियोक्ता द्वारा पूर्व से ही अनुग्रह राशि (एक्सरोशिया) एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अन्य उपादान का भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्षो में भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से कम है तो 5 लाख रूपये एवं वास्तविक भुगतान हेतु आंकलित राशि के अन्तर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जायेगा। जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि / उपादान राशि की पात्रता नहीं है, उनके पात्र दावेदार को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा। परिवार में एक से अधिक सेवायुक्तों के योजनांतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक–पृथक राशि देय होगी।

### योजना की अवधि

मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी। यदि सेवायुक्त योजनावधि में कोविड–19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात कोविड–19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।

### प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी

जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले के कलेक्टर योजनांतर्गत सक्षम स्वीकृति जारी करने के लिये अधिकृत रहेंगे। कार्यालय प्रमुख की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे।

मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन

विभाग/संबंधित विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सेवायुक्तों के प्रकरणों के लिये प्रमुख सचिव राजभवन, प्रमुख सचिव विधानसभा, रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय सक्षम प्राधिकारी होंगे।

### आहरण संवितरण अधिकारी

संबंधित सेवायुक्त की मृत्यु के समय जिस कार्यालय से उसका अन्तिम वेतन/ मानदेय/ पारिश्रमिक का आहरण किया गया हो उसी कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर कोषालय से राशि आहरण की जायेगी। राशि का आहरण उसी बजट शीर्ष से किया जायेगा, जिससे मृतक सेवायुक्त का अंतिम वेतन/ मानदेय/ पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। आऊटसोर्स के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे सेवायुक्तों के लिये योजनांतर्गत राशि का भुगतान उनकी सेवायें प्रदान करने वाली एजेंसी के स्थान पर संबंधित दावेदार के खाते में किया जायेगा।

### दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना में दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित परिशिष्ट–1 अनुसार दावा प्रपत्र भरकर उस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जहाँ संबंधित शासकीय सेवक/ सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। संबंधित कार्यालय प्रमुख दावे का प्रसंस्करण करेगा एवं निर्धारित परिशिष्ट–2 अनुसार सक्षम स्वीकृति जारी करने करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को दावा प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस में अनिवार्यतः प्रेषित करेगा। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आहरण संवितरण अधिकारी देयक तैयार करेगा और अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिये कोषालय में देयक जमा करायेगा। कोषालय के द्वारा संबंधित दावेदार के खाते में राशि जारी की जायेगी।

अनुग्रह राशि के लिये दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 अथवा योजना की अवधि की समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक होगी। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी अधिकतम छः माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे। अनुग्रह राशि के लिये दावा प्रस्तुत करने की पात्रता के क्रम में पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे। इनके न रहने की स्थिति में विधिक सन्तानों (एक से अधिक होने पर बराबर राशि) तथा विधिक सन्तान न होने पर माता /पिता को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

राज्य शासन के निगम/ मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/ विश्वविद्यालय उनकी स्थापना में कार्यरत नियमित/ स्थाईकर्मी/ दैनिक वेतनभोगी/ तदर्थ/ संविदा/ आऊटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से योजना का संचालन कर सकते हैं। शासी निकाय द्वारा योजनांतर्गत प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का नामांकन किया जायेगा।

नगरीय निकायों एव पंचायती राज संस्थाओं की स्वीकृत स्थापना में कार्यरत नियमित/ स्थाईकर्मी/दैनिक वेतनभोगी/ तदर्थ/संविदा/आऊटसोर्स सेवायुक्तों को उनके प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लिया जाकर योजना को लागू किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में योजनांतर्गत स्वीकृति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

राज्य शासन के निगम, मण्डल, संस्थाओं, प्राधिकरण, विश्वविद्यालयों तथा नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत योजना संचालन की स्थिति में उनकी स्वयं की निधि से योजनांतर्गत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त किसी संस्था को योजना अंतर्गत स्वीकृत अनुग्रह राशि भुगतान हेतु वित्तीय व्यवस्था में कठिनाई परिलक्षित होती है तो समुचित कारण सहित राशि की मांग का प्रस्ताव अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। अनुग्रह राशि के भुगतान संबंधी उक्त उपबंधों का निर्वचन तथा कठिनाईयों के निराकरण के लिये प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जा सकते हैं।

## रक्तदान है प्राणदान : मंत्री श्री पटेल

### हरदा में किया रक्त संग्रहण वैन का लोकार्पण

**भोपाल।** रक्तदान प्राण–दान होता है। इससे लोगों के जीवन को बचाने में मदद मिलती है। रक्तदान करना पुण्य का कार्य है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गत दिवस हरदा जिले की पहली रक्त संग्रहण एवं परिवहन वैन का लोकार्पण करते हुए यह बात कही।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रक्त संग्रहण वैन से जिले में आयोजित रक्तदान शिविरों से आसानी से रक्त संग्रहण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अनेक युवा रक्तदान करने के इच्छुक रहते हैं, किंतु समयाभाव और शहर आने की बाध्यता के कारण वे रक्तदान नहीं कर पाते हैं। अब युवा रक्त संग्रहण वैन के माध्यम से रक्तदान में अपना सहयोग दे सकेंगे।

लोकार्पण कार्यक्रम में हरदा नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर जैसानी तथा सिविल सर्जन डॉ शिरीष रघुवंशी उपस्थित रहे।

# मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आदेश जारी

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है, जिनके माता–पिता की कोविड–19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ऐसे सभी बच्चों के लिये राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल–कल्याण योजना के आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है।

महिला–बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। योजना में परिवार से अभिप्राय पति–पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। बाल हितग्राही से अभिप्राय है ऐसे बालक, बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो और जिनके माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या माता–पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या माता–पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड –19 से मृत्यु हुई है। ''कोविड–19 से मृत्यु'' का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई। 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

### योजना का लाभ लेने की पात्रत्रा

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो। परिवार को मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माता–पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों, जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन पाने की पात्रता हो। ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही, जिनके माता–पिता, अभिभावक की कोविड –19 से मृत्यु होने से अनाथ हो गये हैं को पाँच हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यदि बाल हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक और बच्चे के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उनके व्यक्तिगत खाते में राशि दी जाएगी।

### खाद्यान्न सुरक्षा

प्रत्येक बाल हितग्राही तथा नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत निःशुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। ऐसे परिवारों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला–बाल विकास विभाग द्वारा पात्रता पर्ची जारी किये जाने के लिये जिला खाद्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी।

### शिक्षा सहायता

शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो बाल हितग्राही निजी स्कूलों में त्ज्म् (शिक्षा का अधिकार) प्रावधान अंतर्गत अध्ययनरत हो या आगे होंगे, का शुल्क संबंधित स्कूल को प्रदाय किया जाएगा। ऐसे बाल हितग्राही, जो RTE कोटे से पृथक निजी स्कूलों में अध्ययनरत हैं या होंगे, को RTE प्रतिपूर्ति सीमा तक राशि दी जाएगी।

शासकीय स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निजी स्कूल में अध्ययनरत बाल हितग्राही को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता, बाल हितग्राही को सामान्य शासकीय योजना में पात्रतानुसार प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ के अतिरिक्त होगी।

### उच्च शिक्षा

केंद्रीय विश्व विद्यालय तथा प्रदेश में स्थित समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत बाल हितग्राही को भी सहायता दी जाएगी। शासकीय अथवा केंद्र, राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा। साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबन्धित संस्था को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। ऐसे निजी विश्वविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में, जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, में अध्ययनरत होने पर समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या 15 हजार रूपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार लिंक्ड बैंक खाते में की जाएगी।

### तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत स्नातक, पोलीटेकनिक डिप्लोमा,

आईटीआई और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये भी योजना के हितग्राही को सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही जो शासकीय, अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसके द्वारा देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। बाल हितग्राही, जो निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में जेईई मेन्स परीक्षा या पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेशित होता है तो उसका अधिकतम डेढ़ लाख रूपये प्रतिवर्ष या वास्तविक देय शुल्क जो भी कम हो, राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। बाल हितग्राही, जो मध्यप्रदेश के उन निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में जहाँ स्नातक में प्रवेश 12वीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर होता है, उनका वास्तविक शुल्क या 75 हजार रूपये वार्षिक जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

### चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष

जिन बाल हितग्राहियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन एवं निजी मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज के एबीबीएस, बीडीएस आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी (बी.ए.एम.एस/ बी.यू.एम.एस/ बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल, आयुष महाविद्यालय के एमबीबीएस, बी.ए.एम.एस, बी.यू.एम.एस, बी.एच.एम.एस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उनके द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जाएगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय के लिए 10 लाख रूपये के बॉंड के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बांड की राशि 25 लाख रूपये होगी।

### विधि शिक्षा

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के बाल हितग्राही द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के बाल हितग्राहियों द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पोलीटेकनिक महा–विद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) को योजना में शामिल किया जाएगा।

शासकीय चिकित्सा महा–विद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा, डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले बाल हितग्राही द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिये विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है. का ही भुगतान किया जाएगा तथा कॉशन मनी जमा करने से भी छूट प्राप्त होगी। योजना में पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा के लिये किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

### महिला–बाल विकास विभाग द्वारा संस्थानिक सहायता

18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बाल हितग्राही, जिनका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिनके जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं है– अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देख–रेख करने का इच्छुक नहीं है, को संरक्षण, भरण–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता एवं पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा देख–रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक घोषित किया जाकर प्रदेश में संचालित बाल देख–रेख संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा। ऐसे बाल हितग्राही को योजना के तहत प्रदाय मासिक आर्थिक एवं मासिक राशन की पात्रता नहीं होगी, किंतु बाल देखरेख संस्थाओं में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर निर्मुक्त होने वाले बच्चों को वे समस्त सहायता दी जाएगी, जिसका योजना में प्रावधान है।

### आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना में सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला–बाल विकास का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करें, जिन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे परिवारों से संपर्क कर पोर्टल पर आवेदन भरवाएँ। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिये जाएंगे। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही जिला कलेक्टर के लॉगिन से होगी। प्रकरणों की स्वीकृति और अनुमोदन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल–विकास, समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अनुमोदन के पश्चात सहायता प्रदान करने के आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जाएंगे।

### महिला बाल विकास नोडल विभाग होगा

मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा, किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग महिला–बाल विकास विभाग होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला–बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। निगरानी एवं मूल्यांकन महिला–बाल विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

# मिलकर काम करेंगे तो मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा : मुख्यमंत्री

## प्रशासन, जन–प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाएँ कोरोना के विरूद्ध मिलकर काम करें

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, हम सब मिलकर काम करेंगे तो मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। उन्होंने कहा कि आज एकजुट होकर कोरोना के विरूद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं शहडोल इस तड़प और जुनून के साथ आया हूँ कि, कोरोना संक्रमण समाप्त करना हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। कोरोना संक्रमण को अकेला मुख्यमंत्री दूर नहीं कर सकता, यह कार्य जन–मानस के सहयोग के बिना संभव नही है। आज हम सब को राजनैतिक और वैचारिक मतभेद भुलाकर कोरोना संक्रमण के विरूद्ध कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की लड़ाई में कई समाजसेवी संस्थाएँ बेहतर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़े बगैर हम इस महामारी से निजात नही पा सकते, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, इसमें प्रदेश के नागरिक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैं शहडोल संभाग की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल में संभाग स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्रीमती मनीषा सिंह, श्री शरद कोल, कमिश्नर शहडोल श्री राजीव शर्मा, कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह एवं अन्य जन–प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि, कोरोना कर्फ्यू लोगों का जीवन बचाने का कर्फ्यू है, इस कर्फ्यू का पालन होना चाहिए। उन्होंने जन–प्रतिनिधियों से कहा कि, आज उनके जन–प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौती है कि वे अपनी जनता का जीवन कैसे बचायें। उन्होंने कहा कि सभी जन–प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी लोगों से सम्पर्क स्थापित करें तथा उन्हें कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करें। कोरोना टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि जन–प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाएँ, लोगों का जीवन बचाने के लिए निकलें। उन्होंने कहा कि लोगों के सम्पर्क के दौरान भीड़ लेकर नही जायें, बल्कि प्रशासन की टीम के साथ जायें तथा लोगों तक यह संदेश पहुँचायें कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना और कोरोना कर्फ्यू का पालन करना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मई माह में किसी प्रकार की शादियाँ एवं सार्वजनिक आयोजन न हों, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग होना चाहिये। उन्होंने कहा कि, मृतकों के अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकाल के तहत होना चाहिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को हराना है, तो उसे पहचानना होगा। इसके लिए घर–घर सर्वेक्षण का कार्य तेजी से होना चाहिये तथा सर्दी, जुकाम तथा बुखार से पीड़ित मरीजों की निरंतर टेस्टिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिये। शहडोल संभाग के सभी जिलों में राजनैतिक दलों के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता सर्दी, जुकाम एवं बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की जाँच एवं उपचार के लिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन सुरक्षा का चक्र है। यह संदेश गाँव के लोगो तक भी पहुँचायें।

शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, सदस्य आपदा प्रबंधन समिति श्री कमल प्रताप सिंह, श्री आजाद बहादुर सिंह और विधायकों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों एवं जन–प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। साथ ही इन्हें और कैसे कारगर तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. मिलिंद शिरालकर सहित अन्य जन–प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छिन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार देगी पांच हजार रू. प्रतिमाह पेंशन : मुख्यमंत्री

## निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा, काम–धन्धे के लिए मिलेगा बिना ब्याज का ऋण

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना महामारी से अनेक परिवारों में कोई भी कमाने वाला और पालन–पोषण करने वाला सदस्य जीवित नहीं बचा है। ऐसे परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। बच्चों के पिता एवं अभिभावक और बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी उनके युवा बेटे तथा परिवार के कमाने वाले सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। जीविकोपार्जन का सहारा छिन चुके ऐसे परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा पाँच हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं होने नहीं दी जायेगी। प्रदेश सरकार पूरा ध्यान रखेगी। अनाथ बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध

किया जाएगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना बाधा जारी रख सकें। अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को पात्रता नहीं होने के बाद भी निःशुल्क राशन दिया जाएगा। उनके भोजन की समस्या का समाधान होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के परिवार और अनाथ हुए परिवार का कोई सदस्य यदि काम–धंधा करना चाहता है तो उसको प्रदेश सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे दुःखी परिवार जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा प्रदेश की सरकार है। अनाथ बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं। इनकी देखभाल प्रदेश करेगा, प्रदेश सरकार करेगी। राज्य सरकार किसी भी बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ सकती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। अनेक बच्चों के सिर से उनके माता–पिता, अभिभावक और उनका पालन–पोषण करने वाले परिवार जनों का साया छिन गया है। बच्चों के जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।

# खरीफ फसलों के लिए बीज एवं उर्वरकों की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ 2021 के लिए किसानों को बीज और उर्वरकों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए। कृषकों को किसान कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से दिलाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान खरीफ 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि खरीद 2021 के प्रस्तावित कार्यक्रम में 149. 57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र खरीफ फसलों से क्षेत्राच्छादित करने तथा 272 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूरिया की उपलब्धता 31 मई 2021 तक 5.50 लाख मीट्रिक करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तरह डीएपी की उपलब्धता 4.50 लाख मीट्रिक टन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा डीएपी का प्रदेश के लिए आवंटन बढ़ाने एवं प्रदाय के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

# ब्लैक फंगस के प्रकरणों की जल्द पहचान सुनिश्चित की जाए : मुख्यमंत्री

## ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 5 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे विशेष वार्ड

**भोपाल।** मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्लैक फंगस के प्रकरणों की जल्द पहचान के लिए संपूर्ण प्रदेश में तत्काल व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। प्रत्येक वार्ड और ग्रामस्तर पर ब्लैक फंगस के प्रकरणों की तत्काल पहचान के लिए आवश्यक रणनीति विकसित कर एडवाइजरी जारी की जाए। इससे ऐसे प्रकरणों में तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए पाँच मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान विशेषज्ञों और ग्रुप ऑफ़ ऑफिसर के साथ कोविड नियंत्रण व स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित ''विचार मंथन'' को निवास से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध अभियान जनता के सहयोग से संचालित किया गया। जिले से लेकर ग्राम स्तर तक आपदा प्रबंधन समूहों और अन्य माध्यमों से जनता के सहयोग से लड़ी गई कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सफलता मिली है और प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित हुआ है। इस दिशा में लम्बी लड़ाई बाकी है। राज्य सरकार हर स्तर पर अपनी रणनीति में सुधार के लिए सुझाव और चर्चा को आवश्यक मानती है। मध्यप्रदेश आदर्श रूप से कोविड नियंत्रण कर सके, इस उद्देश्य से ही विशेषज्ञों और अधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विशेषज्ञों और ग्रुप ऑफ़ ऑफिसर से कोविड–19 के प्रबंधन में समाज की सहभागिता बढ़ाने, कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक आदतों और व्यवहार को स्थाई रूप से जीवन का हिस्सा बनाने, निजी और शासकीय अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, नागरिकों को स्वस्थ जीवन चर्या अपनाने के लिए प्रेरित करने, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार और अन्य राज्यों तथा देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस तथा उनकी प्रदेश के लिए प्रासंगिकता के संबंध में सुझाव मांगे। इसके साथ ही पोस्ट कोविड केयर की प्रक्रिया, ब्लैक फंगस की स्थिति और बचाव, कोरोना की तीसरी वेव को ध्यान

में रखते हुए आवश्यक तैयारियों और कोरोना के बाद हमारा व्यवहार कैसा हो, इस संबंध में भी सुझाव आमंत्रित किए गए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश में कोविड–19 के प्रबंधन पर प्रस्तुतीकरण दिया।

''विचार मंथन'' में नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. के. मदन गोपाल, दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एण्ड इनफार्मेशन सिस्टम इन डव्हलेपमेंट कंट्रेरीज (आरआई एस) में डायरेक्टर जनरल तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सदस्य प्रो. सचिन चतुर्वेदी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ. अभिषेक जैन, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की सदस्य डॉ. ज्योत्सना श्रीवास्तव, यूनिसेफ की सुश्री वंदना भाटिया, डॉ. राहुल खरे, डॉ. निशांत खरे, एम्स भोपाल के डॉ. देवाशीष विश्वास, गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉ. लोकेन्द्र दवे, डॉ. महेश माहेश्वरी, नेशनल अस्पताल के डॉ. पी.के. पाण्डे सम्मिलित हुए। चर्चा में अपर मुख्य सचिव सर्वश्री राजेश राजौरा, एस.एन. मिश्रा, मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, श्री नीरज मण्डलोई, श्री संजय दुबे, डॉ. पल्लवी जैन गोविल, श्री प्रतीक हजेला, सचिव श्री सुखवीर सिंह, आयुक्त जबलपुर श्री बी. चंद्रशेखर, आयुक्त इन्दौर श्री पवन शर्मा, कलेक्टर रीवा श्री टी. इल्लैयाराजा, कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह अढायच ने अपने सुझाव रखे।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि भोपाल, इंदौर सहित जहाँ ज्यादा प्रकरण हैं, वहाँ विशेष रणनीति अपनानी होगी। समुदाय के प्रयासों को एक विशेष पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए। समुदाय को जोड़ने के प्रयासों का डाक्यूमेटेंशन हों। राज्य स्तर पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग के साथ–साथ माइक्रो कंटेनमेंट एप्रोच अपनाना होगी। अर्थ–व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। डिजिलट डाटा फॉर हेल्थ, ई.संजीवनी और आयुष्मान भारत को समन्वित कर आगामी रणनीति विकसित की जाए। निजी, शासकीय अस्पतालों और इंश्योरेंस कम्पनियों के मध्य बेहतर समन्वय हो। आयुष किट, काढ़ा, भाप के उपयोग के साथ आयुष के अनुशासन के पालन की भी आवश्यकता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए रूरल हेल्थ वर्कर्स की भर्ती हो। वैक्सीन के मूल्य के लिए राज्य मिलकर नेगोसिएशन करें।

# साढ़े 13 लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर एक करोड़ मी. टन गेहूं-चना की खरीदी

**भोपाल।** राज्य शासन द्वारा रबी उपार्जन में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में बनाए गए 5171 उपार्जन केन्द्रों पर अब तक 13 लाख 54 हजार 497 किसानों से एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ, चना एवं मसूर की खरीदी की जा चुकी है।

रबी उपार्जन में इस बार 35 लाख 79 हजार 423 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। इसमें से 35 लाख 64 हजार 569 किसानों का पंजीयन वेरीफाई हुआ। खरीदी के लिए 5735 उपार्जन केन्द्र बनाये गये। इनमें से 5171 केन्द्र सक्रिय हैं। इनमें से गेहूँ के लिए 4657 केन्द्र और चना, मसूर एवं सरसों के लिए 514 केन्द्रों पर खरीदी का कार्य हो रहा है। फसल खरीदी के लिए 32 लाख 74 हजार 625 किसानों को एसएमएस किये गये।

अब तक 13 लाख 12 हजार 605 किसानों से 99 लाख 38 हजार 29 मीट्रिक टन गेहूँ, 41 हजार 850 किसानों से एक लाख 10 हजार 480 मीट्रिक टन चना और 37 किसानों से 17 मीट्रिक टन मसूर की खरीदी की जा चुकी है। इस प्रकार अभी तक एक करोड़ 48 हजार 526 मीट्रिक टन उपज समर्थन मूल्य पर क्रय की जा चुकी है, जिसका मूल्य 20 हजार 191 करोड़ रूपये है। इसमें से 15 हजार 476 करोड़ रूपये का भुगतान संबंधित कृषकों को किया जा चुका है। क्रय की गई उपज में से 92 लाख 64 हजार 858 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है।

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि कोरोना संकट काल में किसानों से खरीदी का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए शासन द्वारा प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाये गये। केन्द्रों पर किसानों की भीड़ न लगे, इसके लिए किसानों को एसएमएस कर केन्द्र पर आने की सूचना दी गई। इस बार खरीदी केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।

# हितग्राहियों को राशन वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी : राज्य मंत्री श्री यादव

**भोपाल।** शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक पूरी ईमानदारी से गरीबों के राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुकान समय पर खुले, निर्धारित मात्रा में राशन गरीब जनता को प्राप्त हो। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब मजदूरों के पास काम–धंधा नहीं होने के बाद भी उनके भोजन की व्यवस्था होती रहे, यह प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं। राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कोविड–19 के अशोकनगर जिला प्रभारी मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने मुंगावली के कस्बारेन्ज स्थित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करते हुए यह बातें कहीं। राज्य मंत्री श्री यादव ने उचित मूल्य दुकान पहुँचकर दुकान में उपलब्ध खाद्य सामग्री, भण्डार पंजी और पोर्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकान संचालक और पात्र हितग्राहियों से भी राशन वितरण के संबंध में जानकारी ली।

कोविड–19 प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उचित मूल्य दुकानों का खाद्य एवं राजस्व अमले से सतत निरीक्षण करवाया जायेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पात्र हितग्राहियों को मुफ्त राशन देने में कोताही करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध त्वरित और कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि ष्गरीब की थाली न रहे खालीष् यह शासन, प्रशासन तथा मैदानी अमले की संयुक्त जिम्मेदारी है।

# कोविड-19 में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

## प्रभावित परिवारों को दी जाएगी अनुकम्पा नियुक्ति और आर्थिक सहायता

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के संकट काल में हमारे कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब हम लोगों से घरों में बने रहने की अपील कर रहे हैं, तब ये कर्मचारी भाई–बहन दिन–रात मैदान में अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे में कई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। काम करते हुए हमारे कई कर्मचारी भाई–बहन कोविड–19 के दौरान हमसे बिछड़ गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो योजनाएँ बनाई जाएंगी। यह हैं मुख्यमंत्री कोविड–19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना तथा मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना।

मुख्यमंत्री कोविड–19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में समस्त नियमित स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक/सेवायुक्तों की कोविड–19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की स्थिति में यह अनुग्रह राशि उनके परिवारों का संबल बनेगी। इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार इत्यादि कर्मी भी सम्मिलित होंगे। अनुकम्पा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है ताकि इन परिवारों के जो आश्रित भाई–बहन हैं, उन्हें राहत मिल सके और उनकी आजीविका चलती रहे।

## कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन की 20 दिन पहले दी जाएगी सूचना

**भोपाल।** कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से और छात्रहित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर 12वीं, 12वीं (व्यावसायिक), डिप्लोमा इन प्री–स्कूल एजूकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षायें आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

## तेन्दूपत्ता संग्राहक होंगे संबल ...

### समितियों को जारी हुई राशि

कार्यक्रम में वर्ष 2017, 2018 व 2019 के तेंदूपत्ता संग्रहण के बोनस के रूप में 191 करोड़ 45 लाख रूपए का वितरण किया गया। वर्ष 2017 की 40 करोड़ 56 लाख लाभांश की राशि 26 जिला यूनियनों की 81 समितियों को, वर्ष 2018 की 44 करोड़ 34 लाख लाभांश की राशि 34 जिला यूनियनों की 161 समितियों को और वर्ष 2019 की 106 करोड़ 55 लाख लाभांश की राशि 42 जिला यूनियनों की 593 समितियों को जारी की गई। उच्चतम लाभांश वाले प्रथम तीन जिले उमरिया, सिंगरौली और सतना है।

### कोरोना काल में सहायक होगी राशि – वन मंत्री श्री शाह

वन मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों के खातों में 191 करोड़ 45 लाख रूपए बोनस के साथ अगले 15 दिनों में कुल 650 करोड़ रूपए जारी किए जाएंगे। यह कोरोना की कठिन परिस्थितियों में इन परिवारों के लिए बड़ी सहायता होगी। वन मंत्री श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों और वनवासियों के कल्याण और सहायता के लिए चलाई जा रही योजनाएँ उनकी संवदेनशीलता का प्रतीक है।

### मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैतूल की सुश्री शांति यादव, छतरपुर के श्री रामकृपाल यादव, सिंगरौली के श्री लोकेश्वर बैगा, अनूपपुर के श्री वीर साय सहित विदिशा और सीहोर के तेंदूपत्ता संग्राहकों से संवाद भी किया।

## मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिये कर्मचारी हितैषी निर्णय कर्मचारी संगठनों ने माना आभार

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी नियमित, स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर और आउट सोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति और अनुग्रह राशि देने लागू की गई मुख्यमंत्री कोविड–19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना के लिये प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।

कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनका यह सराहनीय और कर्मचारी हितैषी निर्णय है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ कर्मचारियों के हित में यह योजनाएँ लागू की गई हैं। कोरोना महामारी के भीषण दौर में भी कर्मचारी परिवारों की फिक्र करके मुख्यमंत्री श्री चौहान की कर्मचारी हितैषी छवि पुनः प्रकट हुई है। यह योजनाएँ कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के लिये वरदान साबित होंगी और उन्हें सुदृढ़ आर्थिक संबल प्रदान करेंगी।

कर्मचारी संगठनों ने कहा कि इन योजनाओं में खास बात यह है कि योजना में नियमित, दैनिक वेतनभोगियों, स्थाई कर्मियों, संविदा कर्मी और कलेक्टर दर इत्यादि सभी प्रकार के कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति और अनुग्रह राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के सलाहकार श्री शिव चौबे, राज्य कर्मचारी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र शर्मा, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और अध्यक्षीय मण्डल के संयोजक श्री सुधीर नायक, राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री डी.के. यादव, निगम मण्डल कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव नीलू, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री मनोज वाजपेयी, आईटीआई कर्मचारी संघ के प्रातांध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, आजाद अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष श्री भरत पटेल, पंचायत सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष श्री बालमुकुंद पाटीदार, राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल दुबे, राजस्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री जी.डी. सोनी, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के प्रांताध्यक्ष श्री रामकिशोर सिंह भदौरिया और संयोजक श्री ओ.पी. एस. राजपूत इत्यादि कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के इस सामयिक कर्मचारी हितैषी निर्णय का स्वागत किया है।

## किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी : मंत्री श्री पटेल

**भोपाल।** किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि नकली खाद बीज का व्यापार कर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री पटेल ने नकली खाद बीज का व्यापार करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री पटेल ने बताया हैं कि धार जिले में कृषि विभाग के एक दल ने छापामार कार्यवाही करते हुए गुजरात के रास्ते नकली बीजों की तस्करी करने वाले एक रैकेट को धर दबोचा है। उन्होंने बताया कि नकली बीजों की खरीद–फरोख्त की लगातार सूचना मिल रही थी। श्री पटेल ने बताया कि जैसे ही विभाग को धार जिले के कुक्षी और मनावर में नकली बीजों के कारोबार संबंधी गोरखधंधे का पता चला विभाग ने त्वरित कार्यवाही कर लगभग 5 क्विंटल कपास के 4 जी अमानक बीज पकड़े। मंत्री श्री पटेल ने बीज बेचने वाली गुजरात की दो कंपनियों और उनसे माल खरीदने वाले व्यापारियों के खिलाफ तकाल एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए है।

# परिवहन एवं राजस्व मंत्री ने किया खाद्यान्न वितरण केन्द्रों का निरीक्षण

**भोपाल।** परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने राज्य शासन द्वारा गरीबों को दी जा रही निःशुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का ''गरीब की थाली रहे न खाली'' के तहत कोरोना काल में भी गरीब को घर बैठे निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री श्री राजपूत ने सागर के कई गाँव में उचित मूल्य की दुकानों पर तौल–काँटे, खाद्यान्न की मात्रा एवं क्वालिटी का निरीक्षण किया।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि हितग्राहियों को 5 माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसमें राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अप्रैल, मई और जून का एकमुश्त 3 माह का खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसमें प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार पृथक से दिया जाएगा। इस प्रकार अंत्योदय परिवार को 3 माह में 105 किलोग्राम खाद्यान्न एवं प्राथमिकता वाले परिवार के सदस्य को 15 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।

**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना**

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि उपरोक्त खाद्यान्न के अलावा भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मई एवं जून 2 माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसमें अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के सदस्यों को प्रतिमाह 5–5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य की दर से वितरित होगा। इस प्रकार हितग्राहियों को मई एवं जून का खाद्यान्न 10 किलोग्राम प्रति सदस्य प्राप्त होगा।

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यह खाद्यान्न बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके विरुद्ध हितग्राहियों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना है। दुकानदार से अथवा अन्य कोई शिकायत होने पर हितग्राही सीएम हेल्पलाइन नंबर–181 पर अथवा सीधे मुझे अथवा मेरे कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

## प्रदेश का पहला स्टेप डाउन यूनिट शुरू

**भोपाल।** चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अशोका गार्डन शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्टेप डाउन यूनिट का शुभारंभ किया। दस बिस्तरीय स्टेप डाउन यूनिट की स्थापना स्वास्थ्य विभाग एवं व्हिश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में की गई है।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि स्टेप डाउन यूनिट में शासकीय एवं निजी डेडीकेटेड स्वास्थ्य केंद्र एवं डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में उपचार के बाद सामान्य अवस्था में आए ऐसे मरीज जिन्हें कामार्बिडीटी या अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण लंबे समय तक अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखने की आवश्यकता होती है या उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें स्टेप डाउन यूनिट में रेफर किया जाएगा। यूनिट के संचालन से गंभीर मरीजों के लिए डेडीकेटेड कोविड स्वास्थ्य केंद्र एवं डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में स्थान उपलब्ध हो पाएगा।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि इस यूनिट में भर्ती मरीजों की निगरानी एवं उपचार प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ के साथ 3 चिकित्सक एवं 3 स्टाफ नर्स 24 घंटे सेवाएँ देंगे। भर्ती मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योगा अभ्यास के सत्रों का आयोजन किया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को ऑनलाइन मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक मानव संसाधन, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन टच थर्मामीटर एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। मरीजों को सेंटर तक लाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

श्री सारंग ने बताया कि भोपाल के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्टेप डाउन यूनिट स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. पंकज शुक्ला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. आर.के. श्रीवास्तव, यूनिट के विशेषज्ञ डॉ. उपेंद्र दुबे, राज्य प्रतिनिधि डॉ. शालिनी कपूर, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम विशेषज्ञ डॉ. सविता शर्मा उपस्थित थी।

## समर्थन मूल्य पर होगी मूंग की खरीद, केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूँग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से समर्थन मूल्य पर मूँग खरीदे जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री पटेल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मूँग का समर्थन मूल्य 7 हजार 196 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने मूँग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये मध्यप्रदेश सरकार को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर मूँग को खरीदे जाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निरंतर मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि मंत्री से निरंतर चर्चा की गई। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से भी सतत संपर्क बनाये रखा गया। हरदा एवं होशंगाबाद के साथ ही पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन अति प्रसन्नता का दिन है कि अब प्रदेश में भी ग्रीष्मकालीन मूँग की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ होगी। श्री पटेल ने बताया कि हरदा और होशंगाबाद में 3 लाख 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मूँग की फसल किसानों ने लगाई है। उन्होंने स्वयं ग्रीष्मकालीन मूँग की फसल की सिंचाई के लिए न सिर्फ तवा डैम के गेट खुलवाये, बल्कि सिंचाई के लिए सभी को पानी उपलब्ध हो, इसके लिये मॉनिटरिंग की समुचित व्यवस्था की भी निगरानी की।

श्री पटेल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में सफल हुए हैं। हरदा और होशंगाबाद में 3 हजार 500 करोड़ रुपये की मूँग का रिकॉर्डेड उत्पादन होगा। किसानों की आय दोगुना करने का प्रधानमंत्री का सपना पूर्ण होगा। उन्होंने सभी किसान भाइयों को इसके लिये बधाई देते हुए बताया हैं कि सोमवार के बाद जल्दी ही किसानों का पंजीयन प्रारम्भ हो जायेगा।

## 2400 रु. की डीएपी की बोरी अब आएगी 1200 रु. में

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डीएपी खाद पर किसानों को राहत देने के लिए मैं किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला करते हुए डीएपी खाद की कीमतों में हुई 140 प्रतिशत की वृद्धि की स्थिति में किसानों को राहत दी गई है। कीमतें बढ़ने के कारण यदि मूल कीमत पर डीएपी दिया जाता तो किसानों को प्रति बोरी 2400 रूपये में पड़ती। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व से ही 500 रूपये प्रति बोरी की दर से सब्सिडी दी जा रही थी। बढ़ी हुई किमतों के कारण यह सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रूपये प्रति बोरी कर दी गई है। किसान के लिए प्रति बोरी 700 रूपये सब्सिडी बढ़ाई गई है। इसका परिणाम यह होगा की 2400 रूपये की डीएपी की बोरी अब किसान को 1200 रूपये में मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बढ़ती हुई कीमतों के कारण यह परिणाम हो रहा था कि किसान को खाद की ज्यादा कीमत चुकानी पडती, जिससे फसल की लागत बढ़ती। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है किसानों की आय दोगुनी करना और लागत घटाना। लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सब्सिड़ी बढ़ाई है इस पर लगभग 14 हजार 500 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

# संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सबको एकजुटता के साथ कार्य करना होगा : मुख्यमंत्री

## कोविड – 19 की संभागीय समीक्षा बैठक

**ग्वालियर।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड की इस महामारी के समय हम सबको मतभेद भुलाकर संक्रमण की चौन को तोड़ने में जुटना होगा। कोरोना को परास्त करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ग्वालियर–चंबल संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उनके साथ केन्द्रीय कृषि, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर सहित क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की चौन को तोड़ने के लिये जनता कर्फ्यू ही सबसे प्रभावी उपाय है। ग्वालियर में संक्रमण कम हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी लड़ाई लम्बी है। हम सबको कोरोना से मुक्त प्रदेश बनाने के लिये निरंतर कार्य करना होगा। हम सबको एक इकाई के रूप में मिलकर संक्रमण को मिटाने के लिये निरंतर कार्य करते रहने की आवश्यकता है। इस कार्य में हमें जनता का सहयोग भी हासिल करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे लिये यह राहत की बात है कि हमारे प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 10.8 हो गई है। कुछ दिन पहले यह 24 प्रतिशत तक पहुँच गई थी। ग्वालियर–चंबल संभाग के सभी जिलों में स्थिति में निरंतर सुधार ही हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिलों में जो कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं उन्हें अब पोस्ट कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित करने की भी तैयारी हमको करना होगी। कोरोना की बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को ब्लैक फंगस, खून जमने जैसी बीमारियों के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इनकी देखभाल के लिये भी हमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमण न फैले, इसके लिये विशेष प्रयास किए जाना जरूरी है। प्रदेश में चलाए जा रहे किल कोरोना–3 अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक टीम पहुँचे और जो भी संक्रमित मिले उसका उपचार प्रारंभ हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से भी अपेक्षा की कि वे स्वयं और उनसे जुड़े हुए लोग भी किल कोरोना अभियान के तहत जो दल घर–घर जा रहे हैं उनके साथ जाएं और लोगों को दवा वितरण और जागरूकता के कार्य में सहभागी बनें।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें वर्तमान संक्रमण की रोकथाम के साथ–साथ भविष्य की चुनौतियों के लिये भी पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता है। इसके लिये सभी जिलों के कलेक्टर अपने–अपने जिलों में भविष्य की व्यवस्थाओं की प्लानिंग करें। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बैड और ऑक्सीजन बैड बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले दिनों में चिकित्सकों और पैरामेडीकल स्टाफ की भर्ती का कार्य भी सरकार करने जा रही है। हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि ब्लैक फंगस और बच्चों के लिये सभी मेडीकल कॉलेजों में अलग से वार्ड बनाने की व्यवस्था की जाए। भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे निपटने के लिये अलग वार्ड और सुविधायें रहें, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेडीकल कॉलेज के साथ–साथ सभी जिलों में यह व्यवस्था हो, इसके लिये जिला कलेक्टर अपने–अपने जिले की प्लानिंग तैयार कर कार्य करे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में यह भी निर्देशित किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा तीन माह का और केन्द्र सरकार द्वारा दो माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह निःशुल्क राशन हर जरूरतमंद को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया है कि खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से हो, इसकी मॉनीटरिंग भी होना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद अनाज की उपलब्धता से वंचित नहीं रहना चाहिए।

## गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने 820 गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को वितरित की खाद्य सामग्री

**भोपाल।** गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 820 गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सामग्री की किट प्रदाय की। उन्होंने दतिया के चित्रगुप्त धाम में 500, सिद्धार्थ कॉलोनी में 100, ग्राम सतारी में 100 और ग्राम छता एवं लिधौरा में 60–60 परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री के किट वितरित किए।

गरीब परिवारों को वितरित की गई निःशुल्क खाद्य सामग्री में गेहूँ, चावल, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, सब्जी, मसाले, मास्क, सेनेटाईजर सहित अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुएँ शामिल है। डॉ. मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जायेगा। किसी प्रकार की चिन्ता करने एवं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस संकट की घड़ी में केन्द्र एवं राज्य सरकार आपके साथ है। इस अवसर पर जन–प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे।

## किसानों की सुविधा के लिए सहकारी बैंकों का समय बढ़ाएं – सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

**भोपाल।** सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने किसानों को बैंकों से राशि के आहरण और बैंक सुविधा देने के लिए सहकारी बैंक की शाखाओं में कार्य का समय बढ़ाने के निर्देश आयुक्त सहकारिता श्री नरेश पाल एवं एम. डी. केंद्रीय सहकारी बैंक श्री प्रदीप नीखरा को दिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी बैंकों का कार्य समय प्रातः 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक कर दिया गया था, जिसे सहकारिता मंत्री डॉ भदौरिया के निर्देश पर सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक कर दिया गया है। जिससे किसान अब उपार्जन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का आहरण आसानी से कर सकेंगे। सहकारी बैंक खाता धारक किसान अब किसी भी एटीएम से निःशुल्क राशि का आहरण कर सकेंगे।

## सोयाबीन बीज वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी : मंत्री श्री पटेल

### खरीफ–2021 की समीक्षा करते हुए दिए निर्देश

**भोपाल।** किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने खरीफ–2021 की फसल समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सोयाबीन बीज के वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

मंत्री श्री पटेल ने कृषि विभाग के अधिकारियो को निर्देशित किया कि प्राइवेट संस्थाएँ, जो सोयाबीन बीज उत्पादक हैं या वितरक हैं, सर्वप्रथम सोयाबीन का बीज मध्यप्रदेश के किसानों को प्रदाय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी इस आदेश का उल्लंघन किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जायेगी। श्री पटेल ने बीज निगम और कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नकली औऱ अमानक सोयाबीन के बीजों को जप्त करने के लिये छापामारी अभियान पूरे प्रदेश में चलायें। साथ ही सोयाबीन के बीजों की टेगिंग और कालाबाज़ारी पर कार्यवाही कर अवगत करायें।

मध्यप्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है और लगभग 60 से 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी बोनी की जाती है, जो कि देश की कुल सोयाबीन बोनी का 55 प्रतिशत है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।